


12-01-2022

पत्रावली पेश हुई।

प्रार्थी वकील उपस्थित।

वकील विप्रार्थीगण अनुपस्थित।

वकील प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 4 सी.पी. सी. के तहत वास्तें आवेदन पुनःबरामद किये जाने बाबत पर बहस सुनी गई।  
दौराने बहस वकील प्रार्थीगण ने तर्क दिया कि प्रार्थीगण का राजस्व वाद संख्या 41/2016 अनवान खुमाराम बनाम सुराराम वगैरा अन्तर्गत धारा 88.188 आरटी. आर एक्ट के तहत माननीय न्यायालय में  23.10.2019 को सुनवाई हेतु नियत थी। प्रार्थीगण मुझ अधिवक्ता द्वारा वादी को बताया गया कि वाद पत्र में जब भी वादी की आवश्यकता होगी तब वादी को बुला लिया जावेगा। जिस पर


*A. K. Singh*  
सहायक अधिवक्ता  
SDO सिंगरौरी

वादी अधिवक्ता के विश्वास पर रह गया। बाद में अधिवक्ता व्यस्त होने के कारण माननीय न्यायालय में उपस्थिति नहीं होने के कारण हस्तगत प्रकरण को माननीय न्यायालय द्वारा पेशी तारीख 23.10.2019 को अदम पैरवी व अदम हाजिरी में खारिज कर दिया गया। प्रार्थीगण के आवेदन के खारिज होने की जानकारी होने के तुरन्त बाद जरिये अधिवक्ता आवेदन को पुनः बरामद किया जाने का प्रार्थना पत्र पेश किया गया। प्रार्थीगण का एक वाद अन्तर्गत धारा 88,188 रा.का. अधि का विचाराधीन है, जिसमें विप्रार्थी को प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में दखल न कर घोषणा करवाने की इस्तदुआ के प्रस्तुत है, इस प्रकार वादग्रस्त भूमि में विवाद का मुख्य कारण पैतृक खातेदारी जोत की घोषणा से संबंधित है। यदि माननीय न्यायालय द्वारा यदि आवेदन को पुनः बरामद नहीं किया जाता है, तो प्रार्थीगण के साथ अन्याय हो जावेगा। अतः न्यायहित में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण का आवेदन पुनः बरामद किया जाने का आदेश फरमाये जावे।

हमने वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया और प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र एवं मूल पत्रावली का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यों पर विवेचन किया गया। जिसमें पाया की प्रार्थीगण का आवेदन दिनांक 23.10.2019 को सुनवाई हेतु नियत था। लेकिन नियत पेशी तारीख पर प्रार्थीगण एवं प्रार्थीगण के अधिवक्ता के हाजिर नहीं होने पर प्रार्थीगण का आवेदन अदम पैरवी व अदम हाजिरी में खारिज किया गया। चूंकि प्रार्थीगण के अधिवक्ता की ओर से आवेदन को पुनः बरामद किये जाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है और माननीय न्यायालय का यह मानना है, कि प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना चाहिए एवं प्रार्थीगण को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। ताकि वे अपने हक हकूको के लिए सम्पूर्ण पैरवी कर सकें। उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय यह उचित समझता है, कि प्रार्थीगण आवेदन पुनः बरामद किया जाना न्यायोचित है।

लिहाजा न्यायहित में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 4 सी.पी.सी. वास्तें आवेदन पुनः बरामद किया जाना स्वीकार किया जाकर न्यायालय के आदेश दिनांक 23.10.2019 को निरस्त किया जाकर प्रार्थीगण का आवेदन पुनः बरामद किया जाता है।।

पत्रावली फ़ैसल सुमार होकर दाखिल दफ़तर हो एवं नम्बर से कम हो।

  
रहावक कारर  
SDD सिंगरी